संख्या-24/2019/556/71-2-2019-के0जी0एम0यू0-14/2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 09 मार्च, 2019

विषय- संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजीडेन्टस् डाक्टर्स (सीनियर रेजीडेन्टस्/जूनियर रेजीडेन्टस्)/सीनियर डिमान्स्ट्रेटर को एम्स, नई दिल्ली के समतुल्य भत्ते प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-PGI/ER/ACAD/1018/2019, दिनांक 19-02-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2- संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के रेजीडेन्टस् डाक्टर्स (सीनियर रेजीडेन्टस् /जूनियर रेजीडेन्टस्) एवं संकायी सदस्यों को शासनादेश संख्या-832/71-2-18-पी-38/2017, दिनांक 27 मार्च, 2018 द्वारा 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स दिनांक 01-01-2016 से अनुमन्य किये जाने के आदेश निर्गत् किये गये।

3- 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में संलग्न तालिका के अनुसार एस0जी0पी0जी0आई0 के रेजीडेन्टस् डाक्टर्स एवं सीनियर डिमास्ट्रेटर को उन्हीं दरों एवं शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार दिनांक 01/07/2017 से भत्ते अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिस प्रकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में अनुमन्य किये गये है।

4- निदेशक/वित्त नियत्रंक, एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भत्तों की दरे, शर्ते एवं प्रतिबन्ध तथा अनुमन्यता की तिथि एवं प्रक्रिया वहीं हो, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में अनुमन्य हो।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-24/2019/556(1)/71-2-19-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-24/2019/556/71/2-2019- के0जी0एम0यू0-14/2018, दिनांक-09-03-2019 का संलग्नक

(1) एस0जी0पी0जी0आई0 के रेजीडेन्टस् डाक्टर्स एवं सीनियर डिमास्ट्रेटर को अनुमन्य किये जाने वाले भत्ते:-

क्र0	भत्ते का नाम	दर	अभ्युक्ति
1	Dearness Allowance	9% of the basic pay	–
2	House Rent Allowance	16% of basic pay excluding N.P.A.	As provided by AIIMS,New Delhi vide No.F-20-1/2018(A)-Estt.I, dated 14/01/2019. The rates of HRA will not be less than Rs.3600/-p.m. The rates of HRA will be revised to 18% when D.A. crosses 25% and further revised to 20% when D.A crosses 50% **Note: If the accommodation will be provided on the SGPGI Campus. The H.R.A. is not admissible.**
3	Non Practicing Allowance	20% of the basic pay+D.A thereon. Subject to the condition that the sum of basic pay and N.P.A. does not exceed Rs. 2,37,500/-	Not admissible for Sr. Demonstrator
4	Transport Allowances including for Handicapped	Rs. 7200/-p.m.+DA thereon for pay level-9 and above. For handicapped employees the Transport Allowance at double the normal rate.	-----
5	Book Allowance (Reimbursable)	For SR. Rs. 3000/-(per year) For JR. Rs. 2000/- (per year) Pre revised to be continued till revision of 7th CPC.	Not admissible for Sr. Demonstrator
6	Thesis Allowance to JRs for submission fo Thesis (Financial Assitance)	Rs. 5000/- one time lump-sum to meet the expenditure on writing thesis.	-----

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।